



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-238

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 281624 दिनांक 10/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Archana Devi W/o Ranavir एवं Ashok S/o Shri Bholi Ram एवं Aayush Sharma W/o Vishal Sharma एवं Kabita Sharma W/o Vishal Sharma	श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री स्वं श्री मदनमोहन शर्मा	169	138.09 SQ. YARD	Private	ASHADEEP SHRIPURA M Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	निजी खातेदारी की आवासीय योजना आशादीप श्रीपुरम के भूखण्ड संख्या 169 क्षेत्रफल 138.00 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 29.03.2011 को श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री स्वं श्री मदनमोहन शर्मा के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2024 को श्री लोकेश दुलर पुत्र श्री भागीरथ मल के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2026 को श्री लोकेश दुलर पुत्र श्री भागीरथ मल के द्वारा (1)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्रीमती अर्चना देवी पत्नि श्री रणवीर (2) श्री अशोक पुत्र श्री भोलीराम (3) श्री आयुष शर्मा पुत्र श्री विशाल शर्मा (4) श्रीमती कविता शर्मा पत्नि श्री विशाल शर्मा के पक्ष में कर दिया गया। उक्त प्रकरण में एक से अधिक बैचान होने के कारण सार्वजनिक विज्ञप्ति करवाया जाना प्रस्तावित है। आवेदकगण द्वारा उपविभाजन हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Archana Devi W/o Ranavir एवं Ashok S/o Shri Bholi Ram एवं Aayush Sharma W/o Vishal Sharma एवं Kabita Sharma W/o Vishal Sharma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |